Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183–2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021 (KARTIKA 18, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2021

संख्या 2/6/2021-1IB-II.— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27), की धारा 30 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद् की संरचना, इसके सदस्यों की रिक्तियों को भरने के ढंग तथा उनके कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रकिया के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकर परिषद् नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
   (2) ये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू होंगे।
   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, – परिभाषाएं।
   - (क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27);
   - (ख) **"माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम"** से अभिप्राय है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26);
   - (ग) **"संगठन"** से अभिप्राय है, हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्योग का कोई समूह;
   - (घ) **"परिषद्"** से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्;
   - (ङ) **"संसूचना का डिजिटल ढंग"** से अभिप्राय है, ई–मेल, संक्षिप्त संदेश सेवा (एस.एम.एस.), फैक्स या अन्य समरूप किस्म का कोई अन्य ढंग सहित संसूचना का इलैक्ट्रोनिक ढंग;
   - (च) **"प्ररूप"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
   - (छ) **"सदस्य"** से अभिप्राय है, अध्यक्ष सहित परिषद् का सदस्य;
   - (ज) **"धारा"** से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;
   - (झ) **"राज्य सरकार"** से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

   (2) इन नियमो में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) में दिये गये हैं।

परिषद् की संरचना।

3. (1) परिषद् की संरचना निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्–

(क)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, हरियाणा से नियुक्त कोई अधिकारी, जो निदेशक की पदवी से नीचे का न हो;	अध्यक्ष
(ख)	वित्तीय सलाहकार, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के कार्यालय से नियुक्त कोई अधिकारी, जो श्रेणी–क की पदवी से नीचे का न हो;	सदस्य
(ग)	न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा से नियुक्त कोई अधिकारी, जो उप जिला न्यायवादी की पदवी से नीचे का न हो;	सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हरियाणा राज्य के सूक्ष्म और लघु औद्योगिक संघ का प्रधान या उसका प्रतिनिधि, जो महासचिव की पदवी से नीचे का न हो;	गैर–सरकारी सदस्य
(ङ)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, हरियाणा से नियुक्त कोई अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य सचिव

(2) गैर–सरकारी सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। राज्य सरकार, यदि यह उचित समझे, गैर सरकारी सदस्य की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। गैर–सरकारी सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में एक मास का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) सरकारी सदस्य, अपने सम्बन्धित विभाग से यथा लागू नियमों के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे। गैर–सरकारी सदस्य भी, अपने नियुक्ति पत्र में यथा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक और यात्रा/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) राज्य सरकार, गैर–सरकारी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से उसे उसके पद से हटा सकती है–

(क) यदि वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; अथवा

(ख) यदि वह राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करने में अक्षम है; अथवा

(ग) यदि वह ऋणशोधनाक्षम या दिवालिया हो गया है या अपने ऋणदाताओं को ऋण नहीं चुका रहा है; अथवा

(घ) यदि वह भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है; अथवा

(ङ) यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों और किसी भी स्थिति में लगातार पांच बैठकों से अनुपस्थित रहता है; अथवा

(च) यदि वह राज्य सरकार की राय में ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित रखता हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

आकस्मिक रिक्ति।

4. जब किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो अध्यक्ष, अविलम्ब राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, जो, नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी।

परिषद् की बैठक।

5. (1) परिषद् का मुख्यालय पंचकूला में होगा। परिषद् अपने मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान और ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) परिषद् अपने कारबार के संव्यवहार के लिए आमतौर पर प्रतिमास कम से कम एक बैठक का आयोजन करेगी।

(3) अध्यक्ष, किसी भी ऐसे मामले में, जिस पर उसकी राय में तत्काल और तुरन्त विचार किया जाना आवश्यक है, परिषद् की तत्काल बैठक बुला सकता है।

(4) बैठक की गणपूर्ति उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक होगी।

(5) परिषद् की बैठक नोटिस, जो सात दिन से कम की अवधि का न हो, देते हुए बुलाई जा सकती है। परिषद् की तत्काल बैठक के मामले में नोटिस, जो अड़तालीस घंटे से कम की अवधि का न हो, देते हुए बुलाई जा सकती है।

(6) किसी भी बैठक के लिए किसी भी सदस्य को नोटिस देने की कोई आकस्मिक चूक या सदस्य द्वारा नोटिस की अप्राप्ति बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।

(7) बैठक में विचारे गए सभी संदर्भ/मामले, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे।

6. (1) हरियाणा राज्य में पंजीकृत व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, समर्थक दस्तावेजों और संदर्भ की सॉफ्ट प्रति सहित प्ररूप–II में ब्याज के परिकलन सहित प्ररूप–I में परिषद् को संदर्भ भेज सकता है। संदर्भ के साथ तीन हजार पांच सौ रूपए की फीस अर्थात् एक हजार रूपए आवेदन फीस और दो हजार पांच सौ रूपए प्रशासनिक खर्च, परिषद् के अध्यक्ष के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/एन.ई.एफ.टी. के रूप में संलग्न की जाएगी। व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार प्ररूप–III में इस आशय का भी वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उसने समरूप विवाद में किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई संदर्भ प्रस्तुत नहीं किया है। व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, खरीददार/खरीददारों, जिनके विरूद्ध सन्दर्भ दिया गया है, को भेजे जाने वाले संपूर्ण समुच्चय दस्तावेजों और संदर्भ की एक प्रति भी संलग्न करेगा। संदर्भ के सम्बन्ध में परिषद् की प्रक्रिया।

(2) परिषद् सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार से संदर्भ प्राप्त होने पर, इस प्रयोजन हेतु बनाए गए आधिकारिक वैब पोर्टल पर डाटा दर्ज करेगी।

(3) डाटा दर्ज करने के बाद, परिषद् द्वारा संदर्भ की प्राप्ति की पावती सूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से सूक्ष्म तथा लघु उद्यम आपूर्तिकार को जारी की जाएगी।

(4) परिषद्, प्रारंभिक स्तर पर संदर्भ दायर करने के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार की सक्षमता या फीस की जांच करेगी। यदि संदर्भ में दर्ज किए गए ब्यौरे अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं पाए जाते हैं, तो परिषद्, उक्त आपूर्तिकार को इस अनुरोध के साथ एक अवसर प्रदान करेगी कि वह अपेक्षित सूचना/दस्तावेज नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर परिषद् को उपलब्ध करवाए। यदि आपूर्तिकार, परिषद् को उक्त सूचना/दस्तावेज नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो संदर्भ आगामी आवश्यक कार्रवाई किए बिना मूलरूप में वापस लौटा दिया जाएगा।

(5) परिषद् यदि संदर्भ में वर्णित तथ्यों से संतुष्ट है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकार, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए पात्र है, तो वह प्रतिवादी को दावे के विवरण तथा संदर्भ से संलग्न अन्य दस्तावेजों की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादी से परिषद् के अध्यक्ष के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/एन.ई.एफ.टी. के रूप में प्रशासनिक खर्च के लिए दो हजार पांच सौ रूपये की फीस सहित उक्त संदर्भ के संबंध में उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहेगी।

(6) परिषद्, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार संदर्भ में कार्यवाही करेगी। पक्षकारों को नोटिस स्पीड पोस्ट या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

(7) यदि परिषद् द्वारा संदर्भ किसी संस्था को भेजा जाता है, तो उक्त संस्था सुलह कराने का प्रयास करेगी और परिषद् द्वारा संदर्भ भेजने के पन्द्रह दिन के भीतर या अवधि, जो परिषद् विनिर्दिष्ट करे, के भीतर अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(8) जहां उप–नियम (7) के अधीन शुरू की गई सुलह की प्रक्रिया असफल रहती है और दोनों पक्षकारों के बीच बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाती है, तो परिषद्, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार विवाद की मध्यस्थता के लिए कार्यवाही करेगी। पक्षकारों को नोटिस स्पीड पोस्ट या संसूचना के किसी डिजिटल ढंग के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

(9) यदि सन्दर्भ संस्था को भेजा जाता है, तो संस्था माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) के उपबन्धों के अनुसार विवाद में माध्यस्थम् कार्यवाही करेगी और परिषद् को पंचाट भेजेगी।

(10) परिषद् अपनी कार्यवाहियां वस्तुतः उपस्थिति या विडियो कॉन्फ्रैसिंग के माध्यम, जैसा उचित समझे, से करेगी।

(11) परिषद्, मामले में माध्यस्थम् निष्कर्षों/रिपोर्ट तथा सिफारिशों पर विचार करेगी और अंतिम पंचाट/आदेश पारित करेगी।

(12) परिषद्, कार्यवाहियों को संचालित करते समय सहायता हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 26 के अनुसार एक या एक से अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

परिषद् के निर्णय।

7. (1) परिषद् का कोई भी निर्णय, परिषद् की बैठक में उपस्थित इसके सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(2) परिषद्, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 31 के अनुसार माध्यस्थम् पंचाट पारित करेगी। पंचाट पर लागू सुसंगत विधि के अनुसार स्टाम्प फीस लगाई जाएगी। पंचाट की प्रमाणित प्रति पक्षकारों द्वारा आवेदन दायर करने के सात दिन के भीतर भेजी जाएगी।

(3) परिषद्, परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(4) स्वयं परिषद् द्वारा या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली किसी संस्था, जिसे परिषद् द्वारा संदर्भ भेजा गया है, द्वारा दिए गए किसी भी पंचाट अथवा अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई भी आवेदन किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिवादी अपीलकर्ता (जो आपूर्तिकार न हो), पंचाट या अन्य आदेशों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार ऐसी रीति जो ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देश किया जाए, में उस राशि का पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं करवा देता है।

परिषद् की मुहर।

8. परिषद् की एक ही मुहर होगी, जो ऐसे दस्तावेजों पर लगाई जाएगी, जो अध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश करे।

परिषद् का अधीनस्थ अमला।

9. (1) परिषद् का अधीनस्थ अमला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा अथवा राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

(2) गैर–सरकारी सदस्य को भुगतानयोग्य भत्ते और परिषद् के अधीनस्थ कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते इत्यादि सहित प्रशासनिक व्यय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाई गई राज्य की समेकित निधि से पूरा किया जाएगा।

वसूली।

10. यदि कोई खरीददार, परिषद् द्वारा या किसी संस्था द्वारा पारित किसी पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के अधीन कोई अपील दायर नहीं करता है या यदि खरीददार द्वारा दायर की गई ऐसी अपील खारिज हो जाती है, तो उस स्थिति में परिषद् या संस्था द्वारा पारित ऐसी डिक्री/पंचाट या आदेश को संबंधित जिला कलेक्टर, जहां खरीदार की संपत्ति स्थित है, द्वारा निष्पादित किया जाएगा और देय राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

प्रगति रिपोर्ट।

11. (1) परिषद्, परिषद् की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित, अपने कार्य से संबंधित आधारभूत जानकारी इस प्रयोजन हेतु बनाए गए अपने आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(2) परिषद्, अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति या ढंग में समय–समय पर अपेक्षित सूचना राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य सचिव को उपलब्ध करवाएगी।

निर्वाचन करने की शक्ति ।

12. इन नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, यदि उक्त नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वाचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो निर्वाचन करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

निरसन और व्यावृत्ति।

13. हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद् नियम, 2007, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप की गई बात या की गई कार्यवाही समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि निरसित नियमों के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियां ज्यों की त्यों जारी रहेंगी।

प्ररूप I

[देखिए नियम 6(1)]

सेवा में,

अध्यक्ष,

हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्,

पंचकूला।

विषय : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अधीन संदर्भ।

मैं, मैसर्स.................... का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार एक सूक्ष्म/लघु इकाई है। इस इकाई द्वारा माल/सेवाओं की आपूर्ति मैसर्स.............................. को की गई थी, परन्तु इसे भुगतान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया है। इसलिए, मैं, खरीदार से व्यथित होते हुए संदर्भ दायर करना चाहता हूँ। मामले से संबंधित सूचना इस प्रकार हैः

1.	उद्योग आधार संख्या/उद्यम पंजीकरण संख्या : (प्रमाण संलग्न करें) नोट : सूक्ष्म और लघु उद्यम उद्योग आधार udyogadhaar.gov.in (http://udyogadhaar.gov.in) अथवा उद्यम पंजीकरण (http://udyamregistration.gov.in) पर दर्ज कर सकती है।	
2.	हरियाणा उद्यम ज्ञापन संख्या : (प्रमाण संलग्न करें) नोट : सूक्ष्म और लघु उद्यम अपना हरियाणा उद्यम ज्ञापन संख्या (http://harudhyam.edisha.gov.in/) पर दर्ज कर सकती हैं।	
3.	आवेदन दायर करने की तिथि :	
4.	व्यथित सूक्ष्म और लघु उद्यम का ब्यौरा :	
4.1	अधिकृत प्रतिनिधि का नाम : (प्राधिकार संलग्न करें)	
4.2	उद्यम का नाम (आपूर्तिकार) :	
4.3	उद्यम का पता (पिन कोड सहित)	
4.4	जिला :	
4.5	राज्य :	
4.6	मोबाईल नम्बर :	
4.7	ईमेल :	
4.8	व्यथित उद्यम की किस्म :	
	सूक्ष्म	लघु
5.	प्रतिवादी का नाम (क्रेता) :	
5.1	पता (पिन कोड सहित)	
5.2	जिला :	
5.3	राज्य :	
5.4	मोबाईल नम्बर :	
5.5	ईमेल :	
5.6	प्रतिवादी (क्रेता) का वर्ग (सीपीएसयू/राज्य पीएसयू/......................)	

6.	दावे के संबंध में सूचना का विवरण : (1) क्रेता/प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए क्रय आदेशों का विवरण तथा उपलब्ध करवाई गई सामग्री/सेवा की मात्रा और लागत के विवरण तथा उसकी छाया प्रतियां। (2) खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच पारस्परिक स्वीकार्य कराट/संविदा के निबन्धन तथा शर्ते और डिलीवरी की नियत तिथि के विवरण। (3) सामग्री सेवा का नाम, मात्रा तथा लागत के ब्यौरो सहित खरीद आदेश के लिए जारी किए गए बीजको/ बिलों के विवरण और उनकी छाया प्रतियां। (4) डिलीवरी चालान/कार्य समापन प्रमाण–पत्र/ माल प्राप्ति के विवरण तथा उनकी छाया प्रतियां। (5) स्वीकार्य सामग्री/सेवाओं की मात्रा और तिथि के विवरण और छाया प्रतियां। (6) आपूर्ति अनुक्रम में तिथियों सहित संदत्त और असंदत्त विषकों के विवरण। (7) आपूर्ति किए गए माल/सेवाओं हेतु विलम्ब भुगतान की गणना के लिए पैंतालीस दिन या नियत दिन के पूरा होने के विवरण। (8) बकाया देयों के भुगतान के लिए प्रतिवादी के साथ किए गए पत्राचार के विवरण। (9) किसी आपूर्ति किए गए माल/ प्रदान की गई सेवाओं या पक्षकारों के बीच हुई वचनबद्धता के संबंध में प्रतिवादी की शिकायत/आक्षेय, यदि कोई हो, के विवरण और उसके प्रमाण। (10) यदि आपूर्ति किए गए मालों और सेवाओं या स्वीकार्य करार पर प्रतिवादी से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तिथि में सुधार/प्रतिस्थापन के बाद उसकी स्वीकार्यता और उसके प्रमाण।
7.	भुगतानयोग्य मूल राशि :
8.	दावा किया गया ब्याज : (प्रारूप II के अनुसार गणना पत्र संलग्न किया जाए)
9.	भुगतान की गई फीस के विवरण :
9.1	राशि :
9.2	ढंग : चेक/डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी (विवरण दें)
10.	माँगी गई राहत :
11.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना और संक्षिप्त विवरण (केस हिस्ट्री)

12. प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :

(क) संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र और लेजर;

(ख) उद्योग आधार/उद्यम पंजीकरण संख्या ज्ञापन की फोटोप्रति;

(ग) हरियाणा उद्यम ज्ञापन की फोटोप्रति;

(घ) आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र।

मैं, इसके द्वारा, बात की घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। कोई भी सूचना जो आगे आवश्यक हो सकती है, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम........................

(व्यथित एमएसई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

निर्देशः

1. दावा आवेदन, भारत सरकार के एमएसएमई समाधान पोर्टल पर दायर किया जाना आवश्यक है। (http://samadhaan.msme.gov.in/)
2. एमएसएमई समाधान पोर्टल पर दावा दायर करने के पन्द्रह दिन के बाद, दावा आवेदन की मुद्रित मूल प्रति परिषद् को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि खरीद आदेश मौखिक है, तो दावा आवेदन, एक शपथ– पत्र से समर्थित होना चाहिए।
3. आवेदन के लिए सभी अनुलग्नक स्वयं सत्यापित होने चाहिए।
4. दावा आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची कालानुक्रम में पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुऐ संलग्न की जाएगी।
5. दावा आवेदन की प्रतियाँ, एक मूल प्रति के साथ प्रतिवादियों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
6. अपूर्ण दावा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्ररूप II

[देखिए नियम 6(1)]

ब्याज गणना

क्रम संख्या	बीजक / बिल संख्या और आपूर्ति आदेश की तिथि	खाना 2 में वर्णित बीजक / बिल की कुल राशि	क्रेता द्वारा प्राप्त माल / सेवाओं की तिथि	मालों / प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान की राशि	विलम्ब अवधि	शेष असंदत्त मूल राशि	बिल का विवरण अर्थात् बिल संख्या और तिथि जिससे ब्याज का दावा किया गया है।	
							बीजक / बिल संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

नियत दिन की तिथि की गणना के लिए खरीद आदेश / करार की तिथि से या अधिनियम में यथाउपबन्धित तिथि से भुगतान के लिए देय तिथि / पैंतालीस दिन, जैसी भी स्थिति हो	नियत दिन की तिथि से परिषद् के समक्ष संदर्भ दायर करने की तिथि तक अधिनियम / करार के अनुसार विलम्ब / असंदत्त भुगतान पर ब्याज की गणना	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का ब्याज	दिनांक..............से .... तक की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुणा के रूप में मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की गणना (जैसा कि खाना 12 में वर्णित किया गया है)........ .....से .... तक की अवधि के लिए।	टिप्पणियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.........................

(व्यथित एमएसई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्ररूप III

[देखिए नियम 6(1)]

(एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन दावा करने वाले आपूर्तिकार उद्यम द्वारा अपने लैटर हेड पर प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता)

सेवा में,

अध्यक्ष,
हरियाणा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकर परिषद्,
पंचकूला।

विषय : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अधीन संदर्भ ।

मैं, मैसर्स.................. का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक सूक्ष्म/लघु इकाई है। मैं, इसके द्वारा, पुष्टि करता हूँ कि इस फर्म ने वर्तमान विवाद पर किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई संदर्भ नहीं दिया है।

मैं, इसके द्वारा, घोषित करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षरः.........................
नामः...............................
(व्यथित एमएसई की और से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांकः

विजयेन्द्र कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 9th November, 2021

No. 2/6/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 30 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules for the composition of the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council, the manner of filling vacancies of its members and the procedure to be followed in discharge of their functions, namely:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2021.

(2) They shall extend to the whole of the State of Haryana.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);

(b) "Arbitration and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996);

(c) "Association" means the group of Micro and Small industries registered under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012) or under section 8 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);

(d) "Council" means the Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by the State Government under section 20 of the Act;

(e) "digital mode of communication" means the electronic mode of communication including email, short message service (SMS), FAX or other mode of similar nature;

(f) "Form" means the form appended to these rules;

(g) "member" means the member of the Council including its Chairperson;

(h) "section" means the section of the Act;

(i) "State Government" means the Government of State of Haryana in the administrative department.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006).

Composition of Council.

3. (1) The Council shall consist of the following members, namely :-

(a)	An officer from the Micro, Small and Medium Enterprises Department, Haryana, not below the rank of Director;	Chairperson
(b)	An officer from the office of Financial Advisor, Haryana Bureau of Public Enterprises, not below the rank of Group-A officer;	Member
(c)	An officer from the Administration of Justice Department, Haryana, not below the rank of Deputy District Attorney;	Member
(d)	The President or his representative not below the rank of General Secretary of Micro and Small Industries Association in the State of Haryana appointed by the State Government;	Non-official Member
(e)	An officer from the Micro, Small and Medium Enterprises Department, Haryana, not below the rank of Joint Director.	Member Secretary

(2) Non-official member shall hold the office for a period of one year from the date of assuming his office. The State Government may further extend the period of non-official member for one more year, if it so deems fit. He may resign from his office by giving one month notice in writing to the State Government.

(3) The official member shall be entitled to get the travelling/daily allowance from their respective department as per applicable rules. The non-official member shall also be entitled to get remuneration and travelling/daily allowance as specified in his appointment letter.

(4) The State Government may remove non-official member from his office-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) if he becomes incapable, in the opinion of the State Government, to discharge his functions as a member; or

(c) if he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to his creditors; or

(d) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860); or

(e) if he abstains himself from three consecutive meetings of the Council without the leave of the Chairperson, and in any case from five consecutive meetings; or

(f) if he acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the State Government, to affect prejudicially his functions as a member.

Casual vacancy.

4. When a casual vacancy occurs by reason of death, resignation or otherwise of a non-official member, a report shall be made forthwith by the Chairperson to the State Government which shall take steps to have the vacancy filled by appointment.

Meetings of Council.

5. (1) The Headquarter of the Council shall be at Panchkula. The Council shall meet at its Headquarter or at such place and at such time, as the Chairperson may decide. The meeting shall be headed by the Chairperson or the Member Secretary.

(2) The Council shall ordinarily convene at least one meeting in every month for transaction of its business.

(3) The Chairperson may convene an urgent meeting of the Council for consideration of any matter which, in his opinion, requires immediate and urgent attention by the Council.

(4) The quorum of the meeting shall be more than half of the present members.

(5) A meeting of the Council may be called by giving notice of not less than seven days. In case of an urgent meeting of the Council, the same shall be called by giving notice of not less than forty eight hours.

(6) Any accidental omission to give notice to or the non-receipt of such notice by any member for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting.

(7) All references/matters considered in the meeting, shall be decided by a majority of votes of its present members.

Procedure of Council in respect of reference.

6. (1) An aggrieved Micro and Small Enterprise supplier registered within the State of Haryana, may move reference to the Council in Form-I with interest calculation in Form-II alongwith supportive documents and soft copy of the reference. The reference shall be accompanied with fees of rupees three thousand five hundred i.e. one thousand rupees towards application fee and two thousand five hundred rupees towards administrative expenses by way of demand draft/ Cheque/ NEFT in favour of the Chairperson of the Council. An aggrieved Micro and Small Enterprise supplier shall also submit an undertaking in Form-III to the extent that he has not moved a reference before any Civil Court on the same dispute. The aggrieved Micro and Small Enterprise supplier shall also simultaneously send a copy of the reference along with complete set of documents to the buyer or buyers against whom the reference is made.

(2) Upon receipt of reference from the Micro and Small Enterprise supplier, the Council shall enter the data in the official web portal created for this purpose.

(3) After entering the data, acknowledgement of the receipt of reference shall be issued by the Council to the Micro and Small Enterprise supplier through digital mode of communication.

(4) The Council shall examine the reference at preliminary stage to check regarding fee or competency of Micro and Small Enterprise supplier to file the reference. In case the particulars entered in the reference are not found as per provisions of the Act or rules made thereunder, the

Council shall give an opportunity to the said supplier with the request to supply the requisite information/documents within such period as specified in the notice. If the supplier fails to supply the above said information/documents within specified period to the Council then the reference shall be returned in original without taking further necessary action.

(5) The Council shall, if satisfied with the facts stated in the reference that the Micro and Small Enterprise supplier is entitled to make a reference under the provisions of the Act or rules made thereunder, shall issue a notice to the respondent alongwith a copy of the statement of claim and other documents attached to the reference by registered post or any digital mode of communication, asking him to furnish a response to the said reference within fifteen days of receipt of the said notice alongwith fees of two thousand five hundred rupees towards the administrative expenses by way of demand draft/ Cheque/ NEFT in favour of Chairperson of the Council.

(6) The Council shall take action in the reference as per provisions specified in sub-section (2) of section 18 of the Act. The notice shall be issued to the parties through speed post or any digital mode of communication.

(7) If the reference is sent by the Council to any institution, the said institution shall make efforts to bring about conciliation and shall submit its report to the Council within fifteen days of sending the reference by the Council or within such period as the Council may specify.

(8) Where conciliation initiated under sub-rule (7) is not successful and stands terminated without any settlement between the parties, the Council shall take-up the dispute for arbitration as per the provisions specified in sub-section (3) of section 18 of the Act. The notice shall be issued to the parties through speed post or any digital mode of communication.

(9) If the matter is referred to the institution, the institution shall arbitrate the issue as per provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996) and refer the award to the Council.

(10) The Council shall conduct its proceedings through physical appearance or video conferencing as deemed fit.

(11) The Council shall consider the arbitral findings/reports and recommendations and pass appropriate final award/ order in the matter.

(12) The Council may appoint/ or engage the services of one or more experts in terms of section 26 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996) for taking assistance while conducting the proceedings.

7. (1) Any decision of the Council shall be made by a majority of its members present at the meeting of the Council. Decisions of Council.

(2) The Council shall make an arbitral award in accordance with section 31 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996). The award shall be stamped in accordance with the relevant law in force . The certified copy of the award shall be sent within seven days of filing of an application by the parties.

(3) The Council shall upload the proceedings of every meeting of the Council on the official web portal created for the purpose.

(4) No application for setting aside any award or other order made either by the Council itself or by any institution providing alternate dispute resolution services to which a reference is made by the Council, shall be entertained by any court unless the respondent appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy-five percent of the amount in terms of the award, or the other order, as the case may be, in the manner as directed by such court.

8. There shall be a common seal of the Council which shall be affixed on such documents as the Chairperson may, by order, direct. Seal of Council.

9. (1) The subordinate staff of the Council shall be provided by the Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises, Haryana or the same may be engaged as per outsourcing policy of the State Government. Subordinate staff of Council.

(2) Allowances payable to the non-official member and administrative expenses including salaries and allowances etc. payable to the subordinate staff of the Council shall be met out from the consolidated fund of the State provided to the Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises, Haryana.

Recovery.

10. If a buyer does not file any appeal under section 19 of the Act to set aside any award or other order either made by the Council itself or by any institution or if such appeal filed by the buyer is dismissed, in that case such decree/ award or other order passed by the Council or institution shall be executed by Collector of the District Concerned where the property of the buyer is located and the amount due shall be recovered as an arrear of land revenue.

Progress report.

11. (1) The Council shall upload the basic information related to its working including the annual progress report of the Council on the official web portal created for the purpose.

(2) The Council shall provide information to the Member Secretary of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Act in the manner and form as required from time to time.

Power to interpret.

12. During the course of implementation of these rules, if any difficulty arises in interpretation of any provision of said rules, the power to interpret shall lie with the State Government.

Repeal and savings.

13. The Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2007 are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules:

Provided further that all proceedings initiated under the repealed rules shall continue unabated.

FORM-I

[see rule 6(1)]

To

The Chairperson
Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council
Panchkula

Subject: Reference under Section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006.

I am authorized representative of M/s ----------------------------. This firm is a micro/ small unit as per provisions of MSMED Act, 2006. This unit had supplied the goods/ services to M/s --------------------------------, but it has not been paid as per provisions of Section 15 of MSMED Act, 2006. I, therefore, aggrieved with the buyer, wish to file a reference. The information pertaining to case is as under:

1.	Udyog Aadhar No./ Udyam Registration No.: (Proof to be attached) Note- MSE may register Udyog Aadhar on udyogaadhaar.gov.in (https://udyogaadhaar.gov.in) or Udyam Aadhar on (https://udyamregistration.gov.in)
2.	Haryana Udhyam Memorandum No.: (Proof to be attached) Note- MSE may register Haryana Udhyam Memorandum on harudhyam.edisha.gov.in (https://harudhyam.edisha.gov.in/)
3.	Date of filing application (DD/MM/YYYY):
4.	Details of aggrieved MSE
4.1	Name of Authorized representative: (authorization to be attached)
4.2	Name of Enterprise (supplier):
4.3	Address (including Pin code):
4.4	District:
4.5	State:
4.6	Mobile No.:
4.7	Email:
4.8	Type of aggrieved Enterprise:
	Micro Small
5.	Name of respondent (buyer)
5.1	Address (including Pin code):
5.2	District:
5.3	State:
5.4	Mobile No.:
5.5	Email:
5.6	Category of respondent (buyer) [CPSU/State PSU/---------]:

6	Details of information in respect of claim (1) Details of purchase orders issued by the purchaser/Respondent with description of material/Service provided quantity and cost along with photocopies. (2) Detailed description of mutually agreed terms and conditions between purchaser and supplier /Agreement / Contract along with stipulated delivery date. (3) Details of Invoices/Bills raised against purchase order with particulars of material /service name, quantity and cost along with photocopies. (4) Details of delivery challans /work completion certificates/goods receipt along with photocopies. (5) Details of material/services acceptance, quantities and date along with photocopies. (6) Details of paid and unpaid invoices with dates in the order of supplies. (7) Details of completion of forty-five days and appointed day for calculating delayed payment for goods/ services supplied. (8) Details of correspondence with Respondent for payment of outstanding dues. (9) Details of complaints/objections of Respondent, if any, against goods supplied/services provided or any understanding between parties and proof thereof. (10) If a complaint is received from Respondent on supplied goods and services or on mutual agreement, then acceptance of the same by Respondent buyer after rectification/ replacement with date and proof thereof.
7.	Principal amount payable:
8.	Interest claimed as on: (Attach calculation sheet as per Form-II)
9.	Details of fee paid:
9.1	Amount:
9.2	Mode: Cheque/ Demand Draft/ NEFT (Provide details)
10.	Relief Sought
11.	Any other relevant information and brief description (Case History)

12. Additional Documents to be submitted:
   (a) Audited Balance Sheet and Ledger for the relevant financial years;
   (b) Photocopy of Udyog Aadhaar Memorandum/ Udyam Registration Number;
   (c) Photocopy of Haryana Udhyam Memorandum;
   (d) Affidavit in support of application.

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information that may further be required, shall be provided immediately before the concerned authority.

Signature: ________________________

Name : ________________________

Date: (Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)

INSTRUCTIONS:

1. Claim application is required to be filed on MSME Samadhaan portal of Government of India on https://samadhaan.msme.gov.in ;
2. Printed original copy of the claim application must be submitted to the Council after fifteen days of filing claim on MSME Samadhaan portal. The claim application must be supported by an affidavit in case purchase order is oral;
3. All annexure(s) to the claim application must be self-attested;
4. List of documents duly mentioning the page number in chorological order shall be enclosed along with the claim application;
5. Copies of claim application must be in proportion to the number of the respondents along with one original copy;
6. Incomplete claim application shall not be accepted.

Form-II

[see rule 6(1)]

INTEREST CALCULATION

Sr. No.	Invoice/ Bill Nos. and Date of Supply order	Total amount of Invoice/ Bills indicated in Column (2)	Date of receipt of Goods/ Services by Buyer	Amount of Payment received with date against goods supplied/ service provided	Delay Period	Principal amount remaining unpaid	Details of bills with bill no. and date on which interest has been claimed	
							Invoice/ Bill Nos.	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Due date/ 45 days for payment, as the case may be, from the date of purchase order/ agreement or as provided in the Act for calculating the actual date of appointed day	Calculation of interest on delayed/ unpaid payment in terms of Act/ agreement from the date of appointed day till the date of filing the reference before the Council	Interest of Bank rate as Notified by the Reserve Bank of India	Calculation of Compound interest with monthly interest as three times of the Bank Rate notified by the Reserve Bank of India (as indicated in column (12) for the period from _________ to _________	Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Signature: ____________

Name: _______________

Date: (Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)

Form-III

[see rule 6(1)]

(Undertaking to be submitted by the claimant supplier under MSMED Act, 2006 on the letter head of the enterprise)

To

The Chairperson
Haryana Micro and Small Enterprises Facilitation Council
Panchkula

Subject: Reference under Section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006.

I am authorized representative of M/s ----------------------------. This firm is a micro/ small unit as per provisions of MSMED Act, 2006. I hereby confirm that this firm has not moved any reference before any Civil Court on the present dispute.

I, hereby, declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature: ____________
Name: _______________

Date: (Authorized signatory on behalf of aggrieved MSE)

VIJAYENDRA KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.

9372—C.S.—H.G.P. Pkl.